नवीन पु० /4351/2017

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर बैंच भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्र. ..../17 नि.

जवाहर सिंह आयु 53 वर्ष पुत्र हिम्मत सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम मेवली हाल मुकाम त्योंदा रोड रेल्वे फाटक के पास गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.) व्यवसाय खेती एवं वकालत

....याचिकाकर्ता

बनाम

वीर सिंह आयु 63 वर्ष पुत्र हिम्मत सिंह जाति रघुवंशी ग्राम मेवली हाल मुकाम सुभाष चौक , वार्ड नं. 03 एलिया जी वाली गली , गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.) व्यवसाय कृषि

....रिस्पांडेन्टगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता

न्यायालय तहसीलदार महोदय बासौदा द्वारा प्र.क्र. 3/ए–27/16–17 वीरसिंह आवेदक विरूद्ध जवाहर सिंह अनावेदक ग्राम मेवली तहसील बासौदा में पारित आदेश दिनांक 05/09/2017 से दुखित होकर

श्रीमान् महोदय ,

पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है :–

1. यह कि ग्राम मेवली तहसील बासौदा में याचिकाकर्ता/अनावेदक एवं अन्य भाइयों के मध्य माननीय सिविल न्यायालय की डिक्री बँटवारा पारित की गयी जिसके पालन में सभी पक्षकारों ने अपने नामांतरण आवेदन अधीनस्थ तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किए । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र संयुक्त रूप से वीरसिंह एवं जवाहर सिंह के नाम का नामांतरण करके खसरे खतौनी में इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जिसकी अपील श्रीमान एस.डी.ओ. राजस्व के न्यायालय में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत की जो स्वीकार होकर अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरण आदेश दिनांक 22/08/2016 को निरस्त कर दिया गया । श्रीमान एस.डी.ओ. द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/05/2017 को याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार की गई है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा.2017/4351

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-१-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	